न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–वीरेन्द्र सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 105/22 **निर्णय दिनांकः– 29-02-24**
(जीसीएमएस संख्या 2022/217)

1. मनीराम पुत्र स्व. श्री भीयाराम जाति जाट निवासी नाहरावाली तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, खाजुवाला।

–रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 30–12–1998
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थितिः–

1. श्री बद्री ज्याणी, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री मिलाप चन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 30–12–1998 जिसके द्वारा अपीलांट का विशेष आवंटन प्रार्थना पत्र बिना सुने एकतरफा तौर पर खारिज किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा तहसील खाजुवाला में चक 18 बीएलडी के मुरब्बा नम्बर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

14/14 तादादी 25 बीघा भूमि बतौर विशेष आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तत किया गया। उक्त आवेदन पत्र के साथ अपीलांट द्वारा तमाम सबूत भी प्रस्तुत किये गये थे। अदालत मातहत द्वारा तत्पश्चात् अपीलांट को बिना सूचना दिये प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया गया है कि प्रार्थी द्वारा 35 प्रतिशत राशि जमा नहीं करवाये जाने कारण आवंटन की कार्यवाही नहीं की जा सकती है। अतः प्रार्थी का आवेदन पत्र खारिज किया जाता है।

इस संबंध में अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। यदि जारी किया भी गया है तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील विधिवत नहीं कराई गई है। अपीलांट ने जब अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था तब न तो कोई तारीख पेशी बताई गई थी तथा ना ही यह कथन किया गया था कि आवेदित रकबा आज दिनांक को भी शुद्ध रूप से आराजीराज दर्ज रिकार्ड है। अपीलांट आज दिनांक को भी वादगत् भूमि के आवंटन हेतु राशि मय ब्याज भुगतान करने को तैयार है। चूंकि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जो किसी भी तरह से विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

उन्होंने मियाद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मियाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियाद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 30–12–1998 के विरूद्व अपील दिनांक 20–06–22 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियाद प्रार्थना पत्र में मियाद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र उपस्थित नहीं आने के कारण व 35 प्रतिशत राशि जमा नहीं

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

करवाये जाने के कारण खारिज किया जा चुका है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. जहॉ तक मियंद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 30—12—1998 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 20—06—2022 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। अपीलांट को उसका आवेदन खारिज करने से पूर्व किसी प्रकार की कोई सूचना अथवा नोटिस जारी नहीं करते हुए आवेदन खारिज किया गया है। अपीलांट एक ग्रामीण पृष्ठभूमि का काश्तकार व्यक्ति है। जिससे यह अपेक्षा नहीं की जा सकती वे न्यायालय के दिन—प्रतिदिन की कार्यवाही की जानकारी रखे। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर पारित किये जाने के कारण प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियाद घोषित की जाती है।

प्रकरण में अपीलांट ने आवंटन अधिकारी के समक्ष बतौर विशेष आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए तहसील खाजुवाला में चक 18 बीएलडी के मुरब्बा नम्बर 14/14 तादादी 25 बीघा भूमि आवंटन की मांग की गई थी। आवंटन अधिकारी द्वारा अपीलांट के विशेष आवंटन के प्रार्थना पत्र अपीलांट को वादगत् भूमि का आवंटन भी कर दिया गया। तत्पश्चात् आवंटन अधिकारी द्वारा अपीलांट का आवंटन 35 प्रतिशत राशि जमा नहीं करवाई जाने के कारण निरस्त कर दिया गया।

इसके विपरीत अपीलांट का मुख्य कथन है कि अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है ना ही कोई नोटिस जारी किया गया। यदि किसी प्रकार का कोई नोटिस जारी भी किया गया है तो विधिवत रूप से उसकी तामील अपीलांट को नहीं करवाई गई है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत है।

इस संबंध में अदालत मातहत की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में जारी किये गये चालान की प्रति अथवा आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलांट को जारी किसी भी प्रकार के नोटिस की प्रति संलग्न नहीं है। ऐसी स्थिति में यह साबित नहीं होता है कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को किसी प्रकार का कोई नोटिस अथवा चालान आवंटन अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। आवेदक से आवेदन प्राप्त करने के उपरान्त आगामी कार्यवाही से सूचित नहीं किया। एकतरफा तौर पर आवंटन खारिज कर दिया गया। आवंटन पत्रावली में खारिजी आदेश से आवेदक को सूचित करने का कोई उल्लेख नहीं है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमानी पूर्ण तरीके से पारित किया गया आदेश होने से पुष्टि योग्य आदेश नहीं है।

7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट् की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश दिनांक 30—12—1998 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट की पात्रत कायम रखते हुए अपीलांट के आवेदन का विधि सम्मत तरीके से निस्तारण करें।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 29/2/24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(वीरेन्द्र सिंह चौधरी)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते